Pennsylvania
Human Relations Commission

PHRA के अंतर्गत आप्रवासी संरक्षण

संरक्षित वर्ग

पेनसिलवैनिया ह्यूमन रिलेशन्स एक्ट (PHRA) निम्नलिखित के आधार पर भेदभाव को निषेधित करता है:

- **आयु**
- **रंग**
- **जाति**
- **लिंग**
- **वंश (एन्सेस्ट्री)**
- **राष्ट्रीय मूल**
- **धार्मिक संप्रदाय**
- **प्रतिशोध**
- **पारिवारिक स्टेटस (केवल हाउसिंग)**
- **डिसएबिलिटी, तथा सपोर्ट या गाइड एनिमल्स उपयोग, हैंडलिंग, या ट्रेनिंग**

PHRA के अंतर्गत नौकरी, हाउसिंग, व्यावसायिक संपत्ति, पब्लिक एकमोडेशन, तथा शैक्षणिक संस्थानों में संरक्षण उपलब्ध हैं।

पेनसिलवैनिया फेयर एजूकेशनल अपॉर्च्युनिटीज एक्ट (PFEOA) के अंतर्गत अधिकांश पोस्ट-सेकेंडरी स्कूल्स के लिए संरक्षण उपलब्ध हैं। PHRA के अंतर्गत कवरेज अन्यथा उपलब्ध हो सकती है, सिवाय उन स्कूलों में जो पूरी तरह से प्राइवेट हैं।

यदि मुझे लगता है कि मेरे साथ भेदभाव किया गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

- भेदभाव की घटना से **180 दिनों** के अंदर पेनसिलवैनिया मानव संबंध आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाएं।
- किसी ऐसे एविडेंस को सुरक्षित रखें, जो आपकी शिकायत को सपोर्ट कर सकता है (जैसे कि टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर्स, रसीद आदि)
- आपके पास यह अधिकार है कि आप अपने स्वयं के खर्च पर प्राइवेट विधिक सेवाएं ले सकते हैं, परंतु ऐसा करना जरूरी नहीं है।
- पेनसिलवैनिया कानून आपको प्रतिशोध से भी संरक्षण प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप कोई शिकायत दर्ज करवाते हैं, गैरकानूनी गतिविधि का विरोध करते हैं, या किसी तहक़ीक़ात में मदद करते हैं, तो ऐसा करने के कारण आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की अनुमति किसी को नहीं है।

उदाहरण

- मौखिक उत्पीड़न, अलगाव करना, अपमानजनक शब्द, तथा शारीरिक हमला।
- यह मानते हुए कि व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ऐसे में अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोलने के लिए उसकी आलोचना करना, अथवा एक अलग उच्चारण वाली अंग्रेजी बोलने के लिए उसकी आलोचना करना।
- छात्रों द्वारा किसी सहपाठी के जाति, रंग, धार्मिक संप्रदाय, राष्ट्रीय मूल, या वंश (एन्सेस्ट्री) के कारण उसका उत्पीड़न करना या उसे धमकाना, तथा स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा उन व्यवहारों का समाधान न किया जाना।
- किसी व्यक्ति का वेतन कम करना या समतुल्य काम के लिए उसे किसी सहकर्मी से कम भुगतान करना, यदि भुगतान में अंतर जॉब परफॉर्मेंस के सिवाय अन्य कारणों से है।
- कोई घर किराये के लिए उपलब्ध होने के बावजूद यह कह देना कि वह किराये पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि उस घर का स्वामी उसे किसी आवेदक की जाति, रंग, वंश (एन्सेस्ट्री), या राष्ट्रीय मूल के कारण उसे किराये पर नहीं देना चाहता।
- कोई रेस्टोरेंट स्वामी द्वारा किसी ग्राहक को सर्व करने से इसलिए मना करना क्योंकि उस ग्राहक ने सर पर कोई धार्मिक वस्त्र पहना हुआ है।
- किसी डिलीवरी सेवा द्वारा किसी बड़े माइनॉरिटी नेबरहुड में डिलीवर न किया जाना, जबकि वह आसपास के नॉन-माइनॉरिटी नेबरहुड्स में सर्व करता है।

PHRC क्या करता है?

- PHRA और PFEOA को एन्फोर्स करता है
- भेदभाव के दावों की जांच-पड़ताल एवं उनका समाधान करता है
- लोक सुनवाई करना
- मध्यस्थता करवाना
- टाउनहॉल मीटिंग्स एवं कम्युनिटी समिट्स आयोजित करता है
- एजूकेशन एवं आउटरीच ईवेंट्स तथा ट्रेनिंग फैसिलिटेट करना
- सामाजिक न्याय के पहल करना

शिकायत दर्ज करने के लिए www.pa.gov/ agencies/PHRC पर विजिट करें, 717- 787-4410 (717-787-7279 TTY) पर फोन करें, या आपके निकटतम रीजनल ऑफिस में संपर्क करें:

हैरिसबर्ग	फिलाडेल्फिया	पिट्सबर्ग
717-787-9780 | 717-787-7279 (TTY)	215-560-2496 | 215-560-3599 (TTY)	412-545-5395 | 412-565-5711 (TTY)

phrc@pa.gov

हमें फॉलो करें: